

1200/- रु की फीस पर कमाशियाल 1200/-
 किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
 उपरोक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर
 1 माह में प्रस्तुत करें। वरिष्ठ 188 की दाद लाकर
 कर में से आरक्षण रकम से अंतरकारी कि. की जाये है।
 इसी आदेश का पत्र डि. की शर्त
 से बनाया जावे।

निर्णय (बुले न्यायालय में सुनाया गया)
 पत्रावली दि. 18.12.2017 को पेश
 हो।
 2017
 उपखण्ड अधिकारी
 इंदौर (चतुर्दश)

25.6/18

पत्रावली वकील दादी दे प्रा. पत्र
 द्वारा 53 RTA विज्ञापन दि. 18.12.2017
 एवं द्वारा 53 के अंतर्गत दाद
 डि. की दि. 18.12.2017 को प्रेषित
 तत्काल की गयी प्रा. पत्र पर
 वकील दादी दे बुला जाकर
 वकील दादी द्वारा 53 की
 दाद के अंतर्गत से विज्ञापन
 ही द्वारा प्रा. पत्र की बात लिख
 जाकर द्वारा 53 की दाद
 पत्रावली की गयी है पूर्व
 निर्णय के अंतर्गत रहेगा।
 संशोधित डि. की बनायी

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नका
अहमद
हुक्म
में

जावे। निम्न द्वारा तथा।
द्वारा इत इत पर पत्रावली
के दोरे कार्यवाही शेष नहीं
रही है पत्रावली की कार्यवाही
इसी इत पर शापट की
जाती है पत्रावली के इत
मुद्रा के पर इत से का
है।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS

पीठारीन अधिकारी, लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी (राज.)

